एमसीआईआर

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XX अंक 11 फरवरी 2025

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-3
III. वित्तीय बाजार	3
IV. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
V. पर्यवेक्षण	3-4
VI. वित्तीय समावेशन	4
VII. मुद्रा जारीकर्ता	4
VIII. प्रकाशन	4
IX. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फोर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के फरवरी 2025 संस्करण में आपका स्वागत है, जिसमें मुद्रास्फीति में कमी के संकेत मिलने के साथ ही लगभग पांच वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष 'bank.in' डोमेन की शुरुआत भी शामिल है।

हम तथ्यपरक सूचना साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

7 फरवरी 2025 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य प्रस्तुत किया। अपने आरंभिक वक्तव्य में गवर्नर ने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी तथा इसकी समीक्षा 2021 में की गई, जिसने औसत मुद्रास्फीति को कम करने और लक्ष्य के साथ बेहतर संरेखण में योगदान दिया है। रिज़र्व बैंक का लक्ष्य पूर्वानुमान और भावी अनुमान की विधियों को परिष्कृत करते हुए इस ढांचे का उपयोग करके समष्टि-आर्थिक परिणामों में सुधार जारी रखना है। विनियामक स्तर पर, वित्तीय स्थिरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि दक्षता को संतुलित किया जाएगा तथा विनियमन-तैयारी में परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। धीमी संवृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी बहिर्वाह और वित्तीय अस्थिरता हो रही है, जिसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था आघात-सह बनी हुई है, और रिज़र्व बैंक इन दबावों को दूर करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रहा है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने 'तटस्थ' रुख जारी रखते हुए नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 6.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, ताकि संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखा जा सके। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत पर बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति के आकलन पर टिप्पणी करते हुए, गवर्नर ने उल्लेख किया कि चालू वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 8.2% से कम है, और अगले वर्ष इसमें सुधार की उम्मीद है। कृषि मजबूत बनी हुई है तथा विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र में सुधार हो रहा है। ग्रामीण मांग बढ़ रही है, जबकि शहरी खपत में कमी बनी हुई है। अक्टूबर में चरम पर पहुंचने के बाद मुद्रास्फीति में नरमी आई है, साथ ही अच्छी फसल की संभावनाओं के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी आने की उम्मीद है, हालांकि मूल मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हो सकती है। इस वर्ष के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.8% रहने का अनुमान है, जबकि 2025-26 के लिए 4.2% रहने का पूर्वानुमान है। संवृद्धि और मुद्रास्फीति दोनों अनुमानों के लिए जोखिम संतुलित हैं, हालांकि वैश्विक अनिश्चितताएं संभावित चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति के बारे में बात करते हुए, गवर्नर ने उल्लेख किया कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में प्रणालीगत चलनिधि घाटे में चली गई, जिसका मुख्य कारण अग्रिम कर भुगतान, पूंजी बहिर्वाह, विदेशी मुद्रा परिचालन और मुद्रा परिसंचरण में वृद्धि है। कुछ बैंक बिना संपार्श्विक वाले मांग मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं, और रिज़र्व बैंक के पास फंड रखना पसंद कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बाजार में अधिक सक्रियता से व्यापार करने का आग्रह किया है ताकि इसकी गहनता और जीवंतता को बढ़ाया जा सके। यह पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और चलनिधि की व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए निगरानी और सक्रिय उपाय करना जारी रखेगा।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि जनवरी 2025 के अंत में ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) 80.8% रहने के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है, जोकि सितंबर 2024 की तुलना में स्थिर है। बैंक के चलनिधि बफर्स पर्याप्त हैं। यद्यपि निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी आई है, तथापि आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) मजबूत हैं। उसी प्रकार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए प्रणाली -स्तरीय मापदंड स्वस्थ हैं।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने बताया कि भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी के 1.3 प्रतिशत से घटकर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत रह गया और इस वर्ष के लिए सीएडी का धारणीय स्तर के भीतर रहने की उम्मीद है। 129.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित अंतर्वाह के साथ भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहेगा। 31 जनवरी तक, भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 630.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 10 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करता है। रिज़र्व बैंक की विनिमय दर नीति, स्थिरता और दक्षता बनाए रखने पर केंद्रित है, विदेशी मुद्रा बाजार में हमारा हस्तक्षेप किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर को लक्षित करने के बजाय अत्यधिक अस्थिरता को कम करने पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने 7 फरवरी 2025 को अपनी बैठक में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत समायोजित हो गई।

एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि तटस्थ मौद्रिक नीति रुख को जारी रखा जाए और संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। ये निर्णय संवृद्धि को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाज़ारों; (ii) साइबर सुरक्षा; और (iii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाज़ार

1. सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की शुरुआत

पिछले कतिपय वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक, बाजार सहभागियों को उनके ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध ब्याज दर डेरिवेटिव (व्युत्पन्न) उत्पादों के समूह का विस्तार करते आ रहा है। ब्याज दर स्वैप के अलावा, ब्याज दर ऑप्शन, ब्याज दर फ्यूचर्स, ब्याज दर स्वैप्शन, वायदा दर करार आदि जैसे उत्पाद बाजार सहभागियों के लिए उपलब्ध हैं। हमें बाजार के अधिक विकास को सक्षम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में वायदा संविदाओं की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इस तरह की वायदा संविदाएं, बीमा निधि जैसे दीर्घकालिक निवेशकों को ब्याज दर चक्रों में अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएंगे। वे उन डेरिवेटिव के कुशल मूल्य निर्धारण को भी सक्षम करेंगे जो अंतर्निहित लिखतों के रूप में बॉण्ड का उपयोग करते हैं। इस संबंध में निदेश का मसौदा दिसंबर 2023 में जारी किया गया था। अंतिम निदेश, सार्वजनिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

2. सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकर की एनडीएस-ओएम तक पहुंच

तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान (एनडीएस-ओएम) सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में, एनडीएस-ओएम तक पहुंच विनियमित संस्थाओं और बैंकों के ग्राहकों और एकल प्राथमिक व्यापारियों के लिए उपलब्ध है। पहुंच को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक दलाल अपने ग्राहकों की ओर से सीधे एनडीएस-ओएम एक्सेस कर सकते हैं। ये दलाल इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और शर्तों के अधीन एनडीएस-ओएम एक्सेस कर सकते हैं। आवश्यक अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

3. विभिन्न बाजार खंडों में व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा

विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों में समकालिक और पूरक बाजार और निपटान समय, कुशल मूल्य निर्धारण और चलनिधि आवश्यकताओं के अनुकूलन के लाभों को सुविधाजनक बना सकते हैं। पिछले कतिपय वर्षों में, ट्रेडिंग के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिकीकरण, 24X5 आधार पर विदेशी मुद्रा और कतिपय ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों की उपलब्धता, घरेलू वित्तीय बाजारों में अनिवासियों की बढ़ती सहभागिता और 24X7 आधार पर भुगतान प्रणालियों की उपलब्धता सहित कई विकास हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के कारोबार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्य दल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य दल द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा है।

ii) साइबर सुरक्षा

4. 'bank.in' और 'fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना

डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इससे निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' विशिष्ट इंटरनेट डोमेन शुरू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को कम करना है; और, सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विशिष्ट रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। वास्तविक पंजीकरण अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। बैंकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, वित्तीय क्षेत्र में अन्य गैर-बैंक संस्थाओं के लिए "fin.in" जैसे एक विशिष्ट डोमेन की योजना बनाई गई है।

iii) भुगतान प्रणालियाँ

5. सीमापारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन में प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक को सक्षम करना

डिजिटल भुगतान के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) की शुरूआत ने लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाया है, जिससे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने का भरोसा मिला है। तथापि, यह आवश्यकता केवल घरेलू लेन-देन के लिए अनिवार्य है। भारत में जारी किए गए कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (ऑनलाइन) लेनदेन के लिए भी एएफ़ए को सक्षम करने का प्रस्ताव है। यह उन मामलों में सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर प्रदान करेगा जहां विदेशी व्यापारी एएफ़ए के लिए सक्षम है। हितधारकों से प्रतिक्रिया के लिए शीघ्र ही परिपत्र का मसौदा जारी किया जाएगा।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति की 53वीं बैठक 5 से 7 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 21 फरवरी 2025 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही का कार्यविवरण प्रकाशित किया।

एमपीसी ने उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की संभावना और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

एनबीएफ़सी के विरुद्ध कार्रवाई

कामधेनु फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र 14 फरवरी 2025 को अपीलीय प्राधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने के बाद पुनःस्थापित कर दिया गया। इस एनबीएफसी को आरबीआई अधिनियम, 1934 के लागू प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों का पालन करने हेतु सूचित गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 एनबीएफसी का पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया।

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा एनबीएफसी के एमडी और सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 फरवरी 2025 को आवास वित्त कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सरकारी एनबीएफसी सहित चुनिंदा एनबीएफसी, जो इस क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग 50% हिस्सा हैं, के प्रबंध निदेशकों और सीईओ के साथ बैठक की। स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय समावेशन के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल हुए।

गवर्नर ने वित्तीय स्थिरता के साथ संवृद्धि को संतुलित करने, ग्राहक संरक्षण सुनिश्चित करने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनबीएफसी से वित्तीय समावेशन का समर्थन करने और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के साथ एकीकृत होने का आग्रह किया। प्रतिभागियों ने क्षेत्रीय फीडबैक, उद्योग स्तरीय पहल और रिज़र्व बैंक से अपेक्षाओं को साझा किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

बीस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उन्हें दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को अभ्यर्पित कर दिया है। अतः, आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके सीओआर को रद्द कर दिया है।

समामेलन योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को दि सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वास्को-दा-गामा, गोवा का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को पुणे कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सतारा (महाराष्ट्र) का पिंपरी चिंचवड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 10 फरवरी 2025 (सोमवार) से लागू होगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण – यूसीबी

रिज़र्व बैंक ने 24 फ़रवरी 2025 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया, ताकि परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए वित्तीय आघात-सहनीयता को बढ़ाया जा सके। छोटे मूल्य के ऋणों की परिभाषा को अद्यतित किया गया है, जिसमें मौजूदा समय-सीमा और लक्ष्यों को बनाए रखते हुए प्रति उधारकर्ता अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹3 करोड़ कर दिया गया है। स्थावर संपदा एक्सपोज़र मानदंडों को संशोधित किया गया है, जिससे यूसीबी को अपने ऋणों का 25% आवासीय बंधकों में और 5% अन्य स्थावर संपदा क्षेत्रों में रखने की अनुमति मिल गई है, साथ ही यूसीबी टियरों के आधार पर व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि की गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

जोखिम भार की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 25 फरवरी 2025 को दिनांक 16 नवंबर 2023 के परिपत्र में शुरू किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत अंक जोखिम भार को समाप्त कर दिया। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी, ऐसे एक्सपोजर के लिए जोखिम भार 1 अप्रैल 2024 के 'मास्टर परिपत्र - बेसल III पूंजी विनियमावली' के अनुच्छेद 5.8.1 में निर्दिष्ट बाहरी रेटिंग के साथ संरेखित होंगे। पिछले परिपत्रों के अन्य सभी निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. वित्तीय बाजार

कार्य दल

रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 के 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' के भाग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बाज़ारों के व्यापार और निपटान समय की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल की स्थापना की घोषणा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनडीएस-ओएम हेतु सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकरों की पहुँच

रिज़र्व बैंक ने 7 फरवरी 2025 को घोषणा की कि सेबी के साथ पंजीकृत गैर-बैंक ब्रोकर, खुदरा निवेशक ट्रेड की सुविधा के लिए एनडीएस-ओएम प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच सकते हैं। यह 18 अक्तूबर 2024 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम के लिए पहुँच मानदंड) निदेश, 2024 के अनुसरण में है। आवश्यक संशोधन किए गए हैं और अद्यतन मानदंड मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम के लिए पहुँच मानदंड) निदेश, 2025 के अंतर्गत समेकित किए गए हैं, जो 2024 के निदेशों को अधिक्रमित करते हैं। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू और 45यू के अंतर्गत जारी किए गए ये निदेश तत्काल प्रभावी होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफए) – मसौदा निदेश

रिज़र्व बैंक ने 7 फ़रवरी 2025 को सीमापारीय कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक संबंधी निदेशों के मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए। मसौदे के अनुसार, जब कोई विदेशी व्यापारी या अधिग्राहक अनुरोध करता है, कार्ड जारीकर्ताओं को गैर-आवर्ती सीमापारीय सीएनपी लेनदेन के लिए एएफ़ए की पुष्टि करना आवश्यक होगा। टिप्पणियाँ 10 मार्च 2025 तक आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक को ईमेल या डाक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. पर्यवेक्षण

यूसीबी के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 14 फरवरी 2025 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 36एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभिशासन संबंधी चिंताओं के कारण न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए अधिक्रमित कर दिया। श्री श्रीकांत, भूतपूर्व मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिनकी सहायता श्री रवींद्र सपरा और

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय मंडल की 613वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 613वीं बैठक 8 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंडल ने भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता से उत्पन्न चुनौतियों सहित वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति और संभावना की समीक्षा की। मंडल ने डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और बैंक के पूर्व गवर्नर की स्मृति में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया।

श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री ने मंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंडल के निदेशकों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में केंद्रीय बजट 2025-26 के विजन, इसके प्रमुख केंद्रित क्षेत्रों और वित्तीय क्षेत्र से अपेक्षाओं को रेखांकित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

श्री अभिजीत देशमुख वाली परामर्शदाताओं की समिति करेगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन

वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025

रिज़र्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) 2025 के दसवें संस्करण का शुभारंभ किया, जिसका विषय "वित्तीय साक्षरता: महिला समृद्धि" है, जिसे 24 से 28 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के महत्व पर बल दिया और बैंकों से वित्तीय साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन, नाबार्ड के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि शामिल हुए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. मुद्रा जारीकर्ता

महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹50 मूल्यवर्ग के बैंक नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला में ₹50 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिस पर गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिज़ाइन महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के ₹50 के नोटों के समान है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए ₹50 मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

VIII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 19 फरवरी 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का फरवरी 2025 अंक जारी किया। बुलेटिन में द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (07 फरवरी 2025), एक भाषण, चार लेख और वर्तमान आँकड़े शामिल हैं। ये चार लेख हैं:
चार आलेख इस प्रकार हैं:
i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;
ii) केंद्रीय बजट 2025-26: एक मूल्यांकन;
iii) भारत में सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव; और
iv) कृषि आपूर्ति शृंखला की गतिकी: रबी विपणन मौसम के दौरान अखिल भारतीय सर्वेक्षण से प्राप्त अंतर्दृष्टि।
विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

"विनियम एक नज़र में" संबंधी पुस्तिका

रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2025 को विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए विनियामक पहुंच को सरल बनाने के लिए विनियम समीक्षा प्राधिकरण 2.0 (आरआरए 2.0) रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, 'विनियम एक नज़र में' नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका विभिन्न गतिविधियों और संस्थाओं के प्रमुख विनियमों का सारणीबद्ध सारांश प्रदान करती है, जो एक त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह एक उच्च-स्तरीय अवलोकन प्रस्तुत करता है, पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे विशिष्ट विनियामक विवरणों के लिए आधिकारिक परिपत्रों, मास्टर परिपत्रों और मास्टर निदेशों का संदर्भ लें। इस पुस्तिका को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

फरवरी 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	शीर्षक
1	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2023-24
2	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय निजी लिमिटेड कंपनियों का वित्त, 2023-24
3	जनवरी 2025 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
4	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
5	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
6	समष्टि आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण – 92वें चक्र का परिणाम
7	तिमाही बीएसआर-1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण – दिसंबर 2024
8	तिमाही बीएसआर-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – दिसंबर 2024
9	दिनांक 7 फरवरी 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
10	2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र में आदेश बहियों, माल-सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
11	2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए बैंक ऋण वितरण सर्वेक्षण
12	वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण
13	वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
14	2024-25 की तिसरी तिमाही के लिए सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य का सर्वेक्षण

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।